औंकार सिंह आदि बनाम हरनेक सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी, प्रकरण संख्या 100 सन् 2025

2025/524

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2025	आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रकरण के निर्णय दिनांक 31.10.2025 एवं डिक्री दिनांक 03.11.2024 में सहवन से क्रम संख्या 14 में चक 7 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 24 अंकित होने से रह गया है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2025 एवं डिक्री दिनांक 03.11.2024 को दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे। हमने बहस विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 31.10.2025 एवं डिक्री दिनांक 03.11.2024 को दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ प्रस्तुत प्रकरण संख्या 185/2024 हरनेक सिंह आदि बनाम भोला सिंह आदि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए के निर्णय तथा डिक्री का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन–निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्व की जा सकेगी" प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष लेखन में भूल होने से हुआ है। अतः हम निर्णय दिनांक 31.10.2025 एवं डिक्री दिनांक 03.11.2024 में क्रम संख्या 14 में चक 7 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टेयर भूमि पढे जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय मय डिक्री में लाल स्याही से अंकन किया जावे। इस निर्णय के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	